उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

पो0–गुरुकुल काँगड़ी, हरिद्वार– 249404
Website-www.ukpsc.gov.in
दूरभाष नं0–01334–244143

विज्ञप्ति संख्या :: 273 /A-1/A-2/02/E-2/CJ (JD)/2018-19 दिनांक 19 मार्च, 2019

उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा सिविल जज (जू0डि0) परीक्षा–2018

ऑनलाईन आवेदन भरने की प्रारम्भ तिथि	::	20 मार्च, 2019 (बुधवार)
ऑनलाईन आवेदन भरने की अन्तिम तिथि	::	10 अप्रैल, 2019 (रात्रि 11:59:59 बजे तक)
परीक्षा शुल्क – Net Banking/Debit Card/Credit Card द्वारा जमा करने की अन्तिम तिथि	::	10 अप्रैल, 2019 (रात्रि 11:59:59 बजे तक)

उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा सिविल जज (जू0डि0) परीक्षा–2018 के अंतर्गत सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन संख्या :: A-1/02/E-2/CJ (JD)/2018-19 दिनांक 05 अक्टूबर, 2018 एवं विज्ञापन संख्या :: A-1/A-2/02/E-2/CJ (JD)/2018-19 दिनांक 28 दिसम्बर, 2018 को प्रकाशित किया गया था। शासन द्वारा, सीधी भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण को लागू करने हेतु निर्गत शासनादेश के क्रम में कुल 30 पदों के सापेक्ष आरक्षण की गणना करते हुए आयोग को संशोधित अधियाचन उपलब्ध कराया गया है। उक्त के फलस्वरूप पूर्ववर्ती विज्ञापन संख्या :: A-1/A-2/02/E-2/CJ (JD)/2018-19 दिनांक 28 दिसम्बर, 2018 द्वारा विज्ञापित 30 पदों का श्रेणीवार विवरण निम्नवत् संशोधित हो गया हैः–

श्रेणी	रिक्तियां	क्षैतिज आरक्षण	
		उत्तराखण्ड महिला	पूर्व सैनिक
अनारक्षित	26	08	01
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	03	01	–
अन्य पिछड़ा वर्ग	01	–	–
योग	30	09	01

1. शासन द्वारा उपरोक्त तालिका के अनुसार कुल रिक्त 30 पदों में, उर्ध्वाधर श्रेणी के अन्तर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु 03 रिक्तियां आरक्षित कर दिये जाने के फलस्वरूप, आयोग द्वारा उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा सिविल जज जू0डि0 प्रारम्भिक परीक्षा–2018 हेतु पूर्व प्रकाशित विज्ञापन संख्या :: A-1/A-2/02/E-2/CJ (JD)/2018-19 दिनांक 28 दिसम्बर, 2018 में विज्ञापित शर्तों के क्रम में, शासन द्वारा जारी सुसंगत शासनादेशानुसार **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी से आच्छादित होने वाले** अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं।
2. **"आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग" श्रेणी से आच्छादित होने वाले अभ्यर्थी** उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा सिविल जज जू0डि0 प्रारम्भिक परीक्षा–2018 हेतु पूर्व प्रकाशित विज्ञापन संख्या :: A-1/A-2/02/E-2/CJ (JD)/2018-19 दिनांक 28 दिसम्बर, 2018 का आयोग की वेबसाईट www.ukpsc.gov.in पर अवलोकन करें तथा विज्ञापन की शर्तों का भलीभांति अवलोकन करने के पश्चात, वेबसाईट पर ऑनलाईन आवेदन हेतु प्रदत्त लिंक का प्रयोग करते हुए प्रश्नगत परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाईन आवेदन के पश्चात नियमानुसार निर्धारित परीक्षा शुल्क रू0 150/– तथा प्रोसेसिंग शुल्क रू0 35.40/– सहित कुल रू0 185.40/– Net Banking/Debit Card/Credit Card द्वारा जमा करना अनिवार्य है। **ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने व परीक्षा शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि 10 अप्रैल 2019 है।**

   ऑनलाईन आवेदन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र का प्रिन्टआउट निकालकर भविष्य में प्रयोग हेतु सुरक्षित रख लें।

3. ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा विज्ञापन संख्या :: A-1/02/E-2/CJ (JD)/2018-19 दिनांक 05 अक्टूबर, 2018 अथवा विज्ञापन संख्या :: A-1/A-2/02/E-2/CJ (JD)/2018-19 दिनांक 28 दिसम्बर, 2018 के माध्यम से प्रश्नगत परीक्षा हेतु पूर्व में ही ऑनलाईन आवेदन किया जा चुका है, किन्तु "आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग" श्रेणी से आच्छादित होने के कारण, इस श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन के इच्छुक हैं, उन्हें पूर्ववर्ती आवेदन में ''आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग'' श्रेणी को चुनने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। उक्त अभ्यर्थी आयोग की वेबसाईट www.ukpsc.gov.in पर प्रदत्त लिंक का प्रयोग करते हुए पूर्व में भरे गए ऑनलाईन आवेदन पत्र में ''आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग'' श्रेणी का चयन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में, पूर्व में दावित श्रेणी तद्नुसार परिवर्तित हो जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में ''आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग'' श्रेणी के अन्तर्गत विचारित किया जाएगा। **इस प्रकार ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि 10 अप्रैल, 2019 है तथा अभ्यर्थी को पृथक से परीक्षा शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं है।**

''आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग'' श्रेणी का चयन करने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ऑनलाईन आवेदन पत्र में उपरोक्तानुसार किया गया श्रेणी परिवर्तन, आवेदन पत्र के प्रिन्टआउट में अभी परिलक्षित नहीं होगा। अतः ''आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग'' श्रेणी का चयन करने वाले अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र का प्रिन्टआउट अन्तिम तिथि समाप्त हो जाने के पश्चात निकालें।

4. अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन में ''आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग'' श्रेणी का दावा सम्यक् रूप से विचारण के पश्चात यह सुनिश्चित हो जाने पर ही करें कि वह शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः 29/XXXVI(3)/2019/03(1)/2019 दिनांक 05.02.2019 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। **उक्त अधिसूचना के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का लाभ मात्र उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगा**। इस श्रेणी के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापन संख्या :: A-1/A-2/02/E-2/CJ (JD)/2018-19 दिनांक 28 दिसम्बर, 2018 में उल्लिखित अधिकतम आयुसीमा में किसी भी प्रकार की छूट अनुमन्य नहीं है।

5. **अभ्यर्थी ध्यान दें कि ऑनलाईन आवेदन पत्र में ''आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग '' श्रेणी का दावा कर लेने के पश्चात चयन के किसी भी चरण में श्रेणी परिवर्तन का दावा कदापि स्वीकार्य नहीं होगा।** अभ्यर्थी से चयन प्रक्रिया में मुख्य परीक्षा के पूर्व ऑनलाईन आवेदन पत्र में किए गये समस्त दावों की पुष्टि हेतु सम्बन्धित प्रमाण–पत्र/अभिलेख मांगे जायेंगे जिसके अन्तर्गत ''आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग'' श्रेणी के दावे की पुष्टि हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा सुसंगत शासनादेशानुसार, सक्षम स्तर से जारी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। **यदि अभ्यर्थी तत्समय उक्त प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया से अनर्ह घोषित करते हुए अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।**

6. शेष अभ्यर्थी जिनके द्वारा विज्ञापन संख्या:: A-1/02/E-2/CJ (JD)/2018-19 दिनांक 05 अक्टूबर, 2018 अथवा विज्ञापन संख्या :: A-1/A-2/02/E-2/CJ (JD)/2018-19 दिनांक 28 दिसम्बर, 2018 के माध्यम से प्रश्नगत परीक्षा हेतु पूर्व में ही ऑनलाईन आवेदन किया जा चुका है, उन्हें पुनः आवेदन नहीं करना है।

7. उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा सिविल जज जू0डि0 परीक्षा–2018 हेतु पूर्व प्रकाशित विज्ञापन संख्या :: A-1/A-2/02/E-2/CJ (JD)/2018-19 दिनांक 28 दिसम्बर, 2018 की शेष समस्त शर्तें यथावत रहेंगी।

8. **विज्ञापन के प्राविधानों के अनुसार प्रश्नगत चयन में प्रारम्भिक परीक्षा की संभावित तिथि 12 मई, 2019 (रविवार) है।**

Sd/-
(राजेन्द्र कुमार)
सचिव